

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियाँ

वालु

बनाम

दिरखाल

किरम मुकदमा

111 - 128

नम्बर

110

/2024

नम्बर व तारीख अहकम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

प्रार्थना पत्र सीधे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते तलवी/जवाब दिनांक 2/5/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

पत्रावली पेश हुई। अभिभाक्क वादी/प्रतिवादी तपस्थित श्रीमान P.O. सा. दोरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 16/5/24 को वास्ते पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

16/5/24 पत्रावली पेश हुई। अधिकार प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तलवी प्राप्त हुई, जिनमें शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय आरोप दायर किए गए। पत्रावली वास्ते तलवी/जवाब मजामी दिनांक 22/5/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

22/5/24 पत्रावली पेश हुई। अधिकार प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में तलवी सुनी गई। पत्रावली में आरोप पृष्ठ से लिख गए गए एक तरीक तहसीलदार बिजौलियाँ को जारी हो। पत्रावली कैलेंडर शुमार होकर अन्त से कम होकर दाखिल पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

तारीख 18/04/24

प्रकरण संख्या :- 110/24

बालु पिता श्रीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... प्रार्थी

बनाम

01. हीरालाल पुत्र घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी अमृतपुरिया, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. सुमित्रा पत्नि जगदीश जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी माजीसाहब का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा०ले०रे०एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक: 22/05/24

प्रार्थना पत्र मैं बालु पुत्र श्रीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते मौजा निमडीगवां पटवार हल्का चान्दजी की खेडी में स्थित खाता संख्या 22 पर अंकित आराजी संख्या 280, 282 कुल किता 02 रकबा 2.7195 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ मैं प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा निमडीगवां पटवार हल्का चान्दजी की खेडी में स्थित खाता संख्या 22 पर अंकित आराजी संख्या 280, 282 कुल किता 02 रकबा 2.7195 हैक्टेयर भूमि वशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

तारीख 18/4/24

प्रकरण संख्या - 110/24

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 110 / 2024 पत्थरगढी बाबत।

बालु पुत्र श्रीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर, तहसील बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज.) प्रार्थी

बनाम

01. हीरालाल पुत्र घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी अमृतपुरिया, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
 02. सुमित्रा पत्नि जगदीश जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी माजीसाहब का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
- विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा निमडीगवां पटवार हल्का चान्दजी की खेडी में स्थित खाता संख्या 22 पर अंकित आराजी संख्या 280, 282 कुल किता 02 रकबा 2.7195 हेक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर सलावटिया कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

